



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 533 राँची, बुधवार,

14 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

29 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-56/2016 का.--26532 (HRMS)--श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-721/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर, बिहार के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-15657, दिनांक 08.12.2017 के माध्यम से प्राप्त जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, बिहार के पत्रांक-5239, दिनांक 07.11.2017 के द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध मुख्यतः निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) श्री प्रभाकर कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर, बिहार के द्वारा मौजा- उदयपुर, थाना नं०- 69, खाता संख्या-687 के सरकारी भूमि के अतिक्रमणकारी श्री अब्दुल रउफ, पे०- गनी, ग्राम- उदयपुर के विरुद्ध अतिक्रमण वाद संख्या- 35/1993-94 प्रारंभ किया गया। इस अतिक्रमण वाद में दिनांक-11.08.1997 को श्री प्रभाकर कुमार सिंह के द्वारा अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया गया परन्तु आदेश का कार्यान्वयन नहीं कराया गया ।

(ii) अतिक्रमण वाद संख्या- 37/1993-94 में आदेश दिनांक-09.03.2016 के आलोक में अतिक्रमणकारी श्री तेतर पासवान को अतिक्रमित भूमि को खाली करने का आदेश दिया गया तथा इसका अनुपालन करा दिया गया ।

श्री प्रभाकर कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा इन दोनों अतिक्रमणवादों के निष्पादन में अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया एवं वाद के निष्पादन में शिथिलता एवं लापरवाही बरती गई। जिसके कारण श्री अब्दुल रउफ के द्वारा अतिक्रमित भूमि पर दो मंजिला पक्का मकान बना लिया गया है ।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक- 3022, दिनांक- 08.05.2018 के द्वारा श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झा०प्र०से० से स्पष्टीकरण की मांग की गई ।

3. श्री सिंह द्वारा आवेदन दिनांक- 29.05.2018 के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें अंकित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

(i) श्री सिंह के द्वारा प्रतिवेदित है कि अंचल अधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर के पद पर उनके द्वारा दिनांक- 20.12.1996 को योगदान दिया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण वाद संख्या-35/1993-94 एवं 37/1993-94 प्रारंभ करने का आरोप सही नहीं है। साथ ही अतिक्रमण वाद संख्या-35/1993-94 में दिनांक- 09.03.2016 को पारित आदेश से संबंधित आरोप भी सही नहीं हैं ।

(ii) श्री सिंह के द्वारा प्रतिवेदित है कि उनके पदस्थापन अवधि में CWJC No 2290/90 अरूण कुमार मुखर्जी बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के क्रम में उक्त आदेश के अनुपालन में उनके द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गयी थी, जिसमें रोसड़ा शहर के प्रमुख स्थल महावीर चौक पर तीन बड़े-बड़े स्थायी दो मंजिला मकान को हटाया जाना भी शामिल है। साथ ही उनके द्वारा कतिपय अभिलेख/कागजात की मांग भी गयी ।

5. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उक्त पर श्री सिंह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक- 4981 दिनांक- 05.07.2018 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा स्मारित किया गया।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 9613, दिनांक- 20.06.2024 के माध्यम से जिला अधिकारी, समस्तीपुर, बिहार के पत्रांक- 3141 दिनांक- 04.06.2024 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि “साक्ष्य से आरोप पोषित नहीं है” ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रभाकर कुमार सिंह झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-721/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर, बिहार के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-15657, दिनांक 08.12.2017 के माध्यम से प्राप्त जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, बिहार के पत्रांक-5239, दिनांक 07.11.2017 के द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-721/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRABHAKAR KUMAR SINGH BHR/BAS/3383	श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-721/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर, बिहार के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से प्राप्त जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, बिहार के द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
